

P/19/2025

2025/43

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(फाउंडेशन) जोधपुर

भवतराराम vs जलाराम

U/S 98, 188, 92A R.T.A 1955

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

रुक रुक कर आवाजे दिलाई गई अवकाश अनुपास्त्रि
रही-आपास्त्रि में उपास्त्रि हेतु अनिद अवका
दिना जाता है। पत्रावली आदेश जिनाड 28/1/25
को वास्त्रि वासीगण अधिवक्ता की उपास्त्रि हेतु
पेश हो।

19

सहायक कलक्टर
(फाउंडेशन) जोधपुर

28/5/25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अथिक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण
इसका लेकर पत्रावली पूर्व असेसिकानुसार दिनांक 07/25
को पेश हो।

04/05/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वासीगण अनुपास्त्रि।
वकील वासीगण को बार-बार रुक रुक कर आवाजे
दिलाई गई। अवकाश नती वासीगण ही उपास्त्रि
आफ व न ही अधिवक्ता उपास्त्रि आर। पूर्व
आवेदनियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि
वासीगण मज अधिवक्ता लगातार अनुपास्त्रि रहे ही
आफ नी उपास्त्रि नहीं आर। अतः वासीगण का
वाद अडम हाफनी अडम परेशी में खारिज दिना
जाता है। पत्रावली फिलाल शुमा। होकर नव्व
के कान होकर साक्षित कननर हो।

19

सहायक कलक्टर
(फाउंडेशन) जोधपुर

